

Date of
order of
proceeding

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

14/10/16

आज आरक्षी केन्द्र गोहाट के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक
को द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
को 18.0.16 अंतर्गत धारा 34 भा.द.0 अधीन दण्डनीय
भा.द.0 सं.0 / अधिनियम के विरुद्ध
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री फिरोजपुर उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण आकाश S10 दशरथ बि.फ.ब.प.

निवासी / निवासीगण चर्च गा. राज्य प्रख.
थाना फिरोजपुर जिला दुर्गम की ओर से अधिवक्ता
उपरिथित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता
श्री द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा.द.0 सं.0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द.प्र.0 सं.0 के अधीन नज्ञान सिद्ध होने का आदेश किया जाता है। प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पत्रों 600 292/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द.प्र.0 सं.0 धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों पर निशुल्क दिलाई जावे।

चूंकि अपराध जमानत प्रकरण में अभियुक्त / अभियुक्तगण को धार से 7000 / - (सात हजार रुपये) इतनी ही राशि व्यक्तिगत वधवत्र प्रस्तुत करने पर अभियोग में मुक्त किया जाय।

आकाश

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 34-अपराधी (LM भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति - 22 वारी धातु रूपये सज्जसात किये जायें। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटिया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 35 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचिन हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

आकार